न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– सम्पति देवी बनाम लक्ष्मीनारायण आदि

किस्म मुकदमा– आ0 पत्र अ0धारा 212 आर.टी.ए. 1955 मु.नं0 36 वर्ष 2022

दिनांक	आज्ञा पत्र	
12.02.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना–पत्र टी0आई0 सुनी गई। बहस के दौरान वकील उभय पक्ष द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 212 रा0काश्त0अधिनियम में अंकित प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों एंव जवाब प्रा0 पत्र को ही दोहराया गया। वकील प्रार्थीया ने आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया। हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 व 2 तथा वाद के प्रतिवादीगण सं0 3 ता 19 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां ख0नं0 806 रकबा 0.0100 है0 ख0नं0 807 रकबा 7.1300 है0 ख0नं0 808 रकबा 0.100 है0 ख0नं0 809 रकबा 0.0100 है0 ख0नं0 810 रकबा 2.3700 है0 ख0नं0 811 रकबा 3.9000 है0 कुल रकबा 13.4300 है0 वाके ग्राम त्रिलोकपुरा प0ह0 सुजावास तहसील दांतारामगढ़, सीकर की तन में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीया का हक हिस्सा 13/118 है तथा शेष हक हिस्सा अप्रार्थी सं0 1 व 2 तथा वाद के प्रतिवादीगण सं0 3 ता 19 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित होकर चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक हिस्से के अनुपात में पक्षकारों ने आपसी सहमति से वादग्रस्त भूमियों का बाहमी विभाजन कर रखा है तथा काबिज चले आ रहे है। विवादित कृषि भूमियों की राजस्व रिकार्ड में खातेदारी संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है। विवादित भूमियों का विधिवत रूप से बंटवारा नहीं होने के कारण पक्षकारान में अक्सर विवाद होता रहता है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 तथा वाद के प्रति0सं0 3 ता 19 द्वारा सहमति से विधिवत रूप से बंटवारा करवाने से इंकार होने क कारण प्रार्थीया द्वारा बंटवारा हेतु वाद पेश किया गया है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 बाहमी बंटवारे के अनुसार प्रार्थीया को प्राप्त हिस्से के दक्षिण दिशा में काबिज है व आये दिन प्रार्थीया की सीमा के साथ छेडछाड करते रहते है,पिछले दिनों प्रार्थीया की सीमा के साथ छेडछाड करने पर इसकी शिकायत प्रार्थीया द्वारा पुलिस थाने में किये जाने पर अप्रार्थी सं0 1 व 2 को जरिये इस्तगासा पाबंद भी किया गया है। यदि अप्रार्थी सं0 1 व 2 अपने उपरोक्त दुष्कृत्यों में सफल हो गये तो प्रार्थीया के वैध अधिकारों पर भारी आघात उत्पन्न हो सकता है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि प्रा0 पत्र की मद सं0 1 अस्वीकार है। मद सं0 2 स्वीकार है। मद सं0 3 आंशिक रूप से स्वीकार है। मद सं0 4 व 5 अस्वीकार है। जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया का यह आवेदन बिना किसी ठोस आधारों के पेश किया गया है इसलिए आवेदन में वर्णित खसरा नम्बरान में अप्रार्थीगण अपने हिस्से पर काबिज काश्त शांतिपूर्वक करते आ रहे है,किसी प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित नहीं किया जावे और प्रार्थीया का आवेदन खारिज किया जावे। b सहायक कलक्टर (मु.) सीकर	

Scanned with CamScanner

चूंकि प्रार्थीया द्वारा वाद बाबत बंटवारा,स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है,जिसका अंतिम निस्तारण वाद के गुणावगुण व मेरिट के आधार पर होना है। प्रकरण में पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में बनना पाया जाता है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बाहुलता नहीं बढ़े तथा मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि ख0नं0 806, 807, 808, 809, 810, 811 कुल किता 06 कुल रकबा 13.4300 है0 ग्राम त्रिलोकपुरा प0ह0 सुजावास तहसील दांतारामगढ़,सीकर में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

6

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर

Scanned with CamScanner